कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, बालोद (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/4792/एस.डब्ल्यू/2020 बालोद, दिनांक 20.07.2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोडल कोरोना वायरस कोविड–19 को संक्रमण बिमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने की हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 357/स.प्रा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.07.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई की जा सकती है, निर्देशित किया गया है।

अतः कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आम जनो की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला बालोद के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषद बालोद/दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत/गुरूर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा क्षेत्र) में दिनांक 23.07.2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से 29.07.2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश पारित किया जाता है ।

अ. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से वाहर रखा जाता है :–

1. जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है । सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकेंगे।
2. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना चौकी व नगरीय निकाय कार्यालय खुले रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा ।
3. पंजीयन कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) खुले रहेंगे ।
4. भारत सरकार के अधीनस्थ सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
5. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
6. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
7. दवा दुकान, चश्में की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
8. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें ।
9. उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 4–9/2014/29–1, दिनांक 24.03.2020 में घोषित आवश्यक सेवायें ।

Scanned with CamScanner

10. खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के उत्पादन/विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां । ऐसी संस्थाओं में एक समय पर, एक ही स्थान में 05 (पांच) से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे, तथा प्रत्येक 03 (तीन) घण्टों में अपने परिसर की साफ–सफाई की जाये, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाये रखना होगा । इस कंडिका में लॉक–डाउन से प्राप्त छूट, विक्रय एवं वितरण के लिए प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक रहेगी।
11. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)/डेयरी/दुध गंगा में पशुपालकों से दुग्ध संग्रहण का कार्य रात्रि 08:00 बजे तक किया जा सकेगा।
12. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से 9:00 बजे तक लॉक–डाउन से मुक्त रहेंगे ।
13. होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन घर पहुंच सेवाएं दी जा सकेगी।
14. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
15. बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं
16. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन से सम्मिलित एजेन्सियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडियां भी शामिल है।
17. जेल
18. अग्नि समन सेवाएं
19. एटीएम
20. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आईटी आधारित सेवाएं
21. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां
22. पशु चारा
23. कृषि आदान विक्रय ईकाइयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन संहित)
24. पोस्टल सेवाएं
25. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसिंया (निजी एजेसिंयों सहित)
26. अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बॉयलर आदि हो), सिमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक एवं खान (माईस) । ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगें। एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय–समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगें।
27. प्रिंट/ईलॉक्ट्रानिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1178/ज.सं./2020 दिनांक 24.03.2020 में उल्लेखित सेवाएं।
28. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा
29. सभी धार्मिक एवं सांस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगें।

Scanned with CamScanner

30. प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगें। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर जाने पर से सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगें। किसी भी स्थिति में तीन से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर + दो यात्री शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। (आपातकालीन स्वास्थ्यगत कारण को छोड़कर)।
31. जिला बालोद के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थिर समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्न अनुसार आदेश जारी किये जाते है:–
    a सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय–समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगें।
    b. सभी बैंकों के प्रंबधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।
    c. सभी बैंक अपने संस्थान में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगें।
    d. बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

ब. छ.ग. शासन की अधिसूचना कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उललेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोराना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा, उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिये गये निर्देशों का उल्लंघन, नहीं किया जावेगा। आदेश के उल्लघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।

स. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

20/7/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृष्ठ क्रमांक /4792/एस.डब्लू./2020 बालोद, दिनांक 20.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक जिला–बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
14. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्–बालोद/दल्लीराजहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत गुरूर/ गुण्डरदेही /अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
19. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
20. कार्यालयीन प्रति।

20/7/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner